तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/3888/1998/बीकानेर सरकार बनाम सबल सिंह (मृतक) जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सुनील पारीक, उप राजकीय अभिभाषक।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 10–6–2025

यह रेफरेंस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 23–3–1998 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ने कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत् रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री सबलसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अपने आदेश दिनांक 5–3–1992 द्वारा चक 5 पी.एस.एम–II के मुरब्बा नंबर 140/10, 140/2, 140/3 की 45 बीघा अनकमाण्ड भूमि को नाकाबिल काश्त एवं ऊंचा टीबा बताते हुए चक 5 जी.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नंबर 31/16 की 25 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित कर दी गई। तहसीलदार, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23–3–1998 द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/3888/1998/बीकानेर सरकार बनाम सबल सिंह (मृतक) जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3. योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी श्री सबलसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अपने आदेश दिनांक 5–3–1992 द्वारा चक पी.एस.एम–II के मुरब्बा नंबर 140/10, 140/2, 140/3 की 45 बीघा अनकमाण्ड भूमि को नाकाबिल काश्त एवं ऊंचा टीबा बताते हुए चक 5 जी.डब्ल्यू.एम के मुरब्बा नंबर 31/16 की 25 बीघा भूमि अप्रार्थी को आवंटित कर दी गई। आवंटन नियम, 1975 में इस प्रकार भूमि विनियम में देने के अधिकार सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत को नहीं है। आदेश पारित करते समय रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। 4. हमने उप राजकीय अभिभाषक के तर्को पर गौर किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सबलसिंह के द्वारा चक 5 पी.एस.एम–II के मुरब्बा नंबर 140/10, 140/2, 140/3 के रकबा 45 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर आवंटित भूमि को नाकाबिल काश्त एवं ऊंचा टिब्बा बताते हुए दिनांक 5–3–1992 को अन्य चक 5 जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नंबर 31/16 में 25 बीघा कमाण्ड भूमि का विनिमय कर दिया। इस प्रकार का विनिमय करने में सहायक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/टीए/3888/1998/बीकानेर सरकार बनाम सबल सिंह (मृतक) जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत सक्षम नहीं थे तथा ऐसे विनिमय पर राज्य सरकार द्वारा मनाही थी। सहायक आयुक्त का उक्त आदेश क्षेत्राधिकार विहीन, विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण था। हमारी राय में ऐसे विधि विरूद्ध विनिमय को रेफरेंस के माध्यम से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6. उक्त विवेचन के फलस्वरूप जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को चक 5 जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नंबर 31/16 की 25 बीघा भूमि का आवंटन/विनिमय निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी को पुनः राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	